DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **Hindustan Times** DATED NEW DELHI SATURDAY JUNE 11, 2022

School fee hikes on table again as govt eases curb

Sadia Akhtar
sadia.akhtar@htlive.com

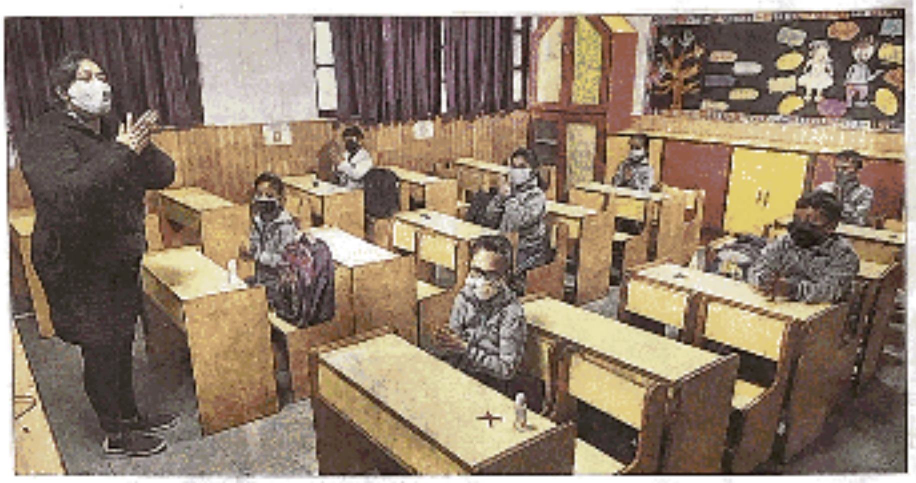

Fee hikes were halted for two years during the pandemic. SANCHIT KHANNA/HT PHOTO

NEW DELHI: The Delhi government has asked schools to submit plans, if any, to increase their fees, paving the way for what could lead to the first increase in what parents pay for their child's education after two years when these were frozen due to the pandemic.

The directorate of education (DoE) issued a circular saying submissions are now open for fee revisions for the 2022-23 academic session. This process applies to private schools running on government land, and includes some of the Capital's most prominent institutions.

"The proposal submitted by the schools shall be scrutinised and examined by the director of education...All such schools are strictly directed not to increase any fee until a sanction is conveyed to their proposal," said a letter by Yogesh Pal Singh, deputy director of education, Private School Branch, to the heads of these schools.

The letter added schools will not be able to increase their fees if they do not submit a proposal.

"In case no proposal is submitted in response to this order, the school shall not increase its fee for the academic session 2022-23. Any complaint regarding an increase of any fee without such prior approval will be viewed seriously and action shall be taken as per the statutory provisions and directions of the high court, including a request to DDA for cancellation of the lease deed executed in favour of the defaulter school's society," wrote Yogesh Pal Singh, deputy director of education, Private School Branch.

In the past two academic years, school education was largely hampered due to the pandemic, with most of the classes during this period being held online. All schools, whether on government or private land, were directed not to increase fees during this period. While schools on private land are free to revise their fees, those on government land (owned by the Delhi Development Authority) need the DoE's approval to do so as per land lease conditions enforced by a Delhi High Court order in 2016.

The proposals need to be submitted through an online service between June 12 and June 27.

"Any complaint regarding an increase of any fee without such prior approval will be viewed seriously and action shall be taken as per the statutory provisions and directions of the high court, including a request to DDA for cancellation of the lease deed executed in favour of the defaulter school's society," Singh's letter cautioned.

Sudha Acharya, the chairperson of the National Progressive School Conference (NPSC) that has over 120 Delhi schools as members, including Sardar Patel Vidyalaya, Bal Bharati Public School, Springdales School, Sanskriti School, Delhi Public Schools, Ahlcon International School, and Amity International School, said that many schools were expected to submit proposals for a fee hike this year.

"During the pandemic, schools were not allowed to hike fee at all. Even before that, our proposals for fee hike had not been approved. For the past five years, there has been no fee hike," said Acharya, principal of ITL Public School, Dwarka.

She added that school managements will deliberate on the issue.

"Matters pertaining to fee hike are decided by the management. However, one thing is for sure—many schools will be submitting proposals since they have been paying teachers as per the 6th pay commission due to paucity of funds," said Acharya.

Rashmi Raj Biswal, principal, DAV Public School, Pushpanjali Enclave, said that schools were facing challenges on various fronts since they had not been allowed to increase fee for a long time.

"We are facing immense trouble in giving out salaries and increments. A lot of arrears are pending. The school infrastructure also needs maintenance, and we require funds for undertaking work. During the last few years, we were not allowed to send in any proposals for fee hike due to the pandemic. But in pre-pandemic years as well, our proposals for fee hike were not accepted," said Biswal.

Aprajita Gautam, president, Delhi Parents Association, said any proposals for fee hikes during the middle of the session will be uncalled for.

Opposing the move, she said, "During the pandemic as well, schools both on government and non-government land increased the fee despite orders barring schools. Parents even staged protests but to no avail. The government needs to seek proposals for any such fee hike at least a year before so that parents are not inconvenience. Parents may not be able to afford increased fee. How will they look for another school in the middle of the year?"

Sumit Vohra, whose children study in DPS Vasant Kunj, said that there was no cause for parents to panic yet, since the DoE will carry out an audit of schools before accepting any fee hike.

"We go by DoE's orders. The directorate last approved fee hikes in 2019, which we abide by even today. If schools have surplus funds, fee hike shouldn't be allowed by DoE. We will go by DoE and court orders," said Vohra.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---DATED---------------------

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 11 जून 2022 www.delhi.nbt.in

एमसीडी ने फिश मार्केट के दुकानदारों को भेजे नोटिस

अब सीआर पार्क की फिश मार्केट में चलेगा बुलडोजर!

Sudama.Yadav@timesgroup.com

सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के बाद एमसीडी बुलडोजर का रुख अब मीट शॉप की ओर मुड़ गया है। पिछले एक-डेढ़ महीने में एमसीडी ने अलग-अलग इलाकों के नामी मीट और फिश मार्केट के दुकानदारों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। डाबड़ी के बाद एमसीडी ने गुरुवार को सीआर पार्क मार्केट नंबर-1 के फिश शॉप ओनर्स को भी नोटिस जारी किया है। एमसीडी अफसरों की दलील है कि खुले में कोई भी न तो मीट बेच सकता है और न ही मछली।

एमसीडी अफसरों के अनुसार डाबड़ी में 20-22 ऐसी मीट शॉप हैं, जिसे डीडीए ने कई साल पहले थड़े अलॉट किए थे। दुकानदारों ने इन थड़े की जगह पक्की दुकानें बना ली है। ऐसे ही हालात सीआर पार्क मार्केट नंबर-1 में है। यहां 10-12 मीट शॉप है। दुकानदारों का दावा है कि उन्हें ये दुकानें डीडीए ने ही ओपन थड़े के रूप में अलॉट किए थे। अफसरों का कहना है कि एमसीडी की जो मीट पॉलिसी है, उसमें ओपन में कोई भी कच्चा मीट नहीं बेच सकता। लाइसेंस सिर्फ पक्की दुकानों के लिए दिए जाते हैं। ऐसे में डाबड़ी में डीडीए ने जो थड़े अलॉट किए थे, उनकी परमिशन वापस लेने की मांग एमसीडी ने की है, ताकि इन दुकानों को तोड़ा जा सके। इसी तरह से सीआर पार्क मार्केट-1 की फिश मार्केट में जिन लोगों की दुकानें हैं, उन्हें गुरुवार को एमसीडी ने तोड़ने के लिए नोटिस दिया है।

दुकानदारों का दावा है कि उन्हें ये दुकानें डीडीए ने ही ओपन थड़े के रूप में अलॉट किए थे

4 जोन में लाइसेंस्ड मीट शॉप की संख्या

साउथ जोन	वेस्ट जोन	सेंट्रल जोन	नजफगढ़	कुल
409	462	419	363	1653

चारों जोन में मीट शॉप के खिलाफ एक्शन

साल	फाइन	चालान	सील हुई दुकानें
2017-18	5906295	707	278
2018-19	5672580	662	110
2019-20	5046637	497	102
2020-21	5688768	293	33
2021-22	6974140	199	140
कुल	2,92,38,420	2358	663

- एमसीडी अफसरों के अनुसार खुले में मीट-मछली नहीं बेच सकते
- एक-डेढ़ महीने में अलग-अलग इलाकों में दिए गए नोटिस

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली शनिवार 11 जून 2022 ---DATED---

राजधानी दिल्ली को 26 साल से बैडमिंटन चैंपियन का इंतजार

दुर्भाग्य

■ सौरभ अग्रवाल

नई दिल्ली। दिल्ली को आखिरी बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन कब मिला था? सुनकर चौंकेंगे तो पता चलेगा 1995-96 में मधुप कंवर। यानी 26 साल से दिल्ली को एक नए चैंपियन का इंतजार है। सीनियर-जूनियर वर्ग में भी दिल्ली का प्रतिनिधित्व आखिरी बार अजय कंवर ने वर्ष 1991 में किया था।

आखिर इसका कारण क्या है? दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन संघ (डीसीबीए) की अध्यक्ष डॉ. अमोला सिंह बताती हैं कि राजधानी में दो संघ होने के कारण बैडमिंटन पिछड़ गया। सुविधाएं तो भरपूर हैं। डीडीए और दिल्ली सरकार के स्टेडियमों में करीब 15 से ज्यादा सरकारी अकादमियां हैं, साथ में कई निजी भी हैं। इसके अलावा दिनेश खन्ना, मधुमिता सिंह, विक्रम सिंह, अजय कंवर जैसे कई अनुभवी कोच भी हैं। डॉ. अमोला ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दिल्ली में सरकारों ने अच्छा काम किया है। खिलाड़ी नहीं निकले तो अब तक के संघ इसके लिए जिम्मेदार रहे। अब इन्हें सुधारा जाना है।

दो संघों का विवाद: असल में कुछ साल पहले तक दिल्ली में बैडमिंटन की नियामक दिल्ली बैडमिंटन संघ (डीबीए) ही थी। लेकिन किन्हीं कारणों से पहले भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) ने एक अन्य संघ डीसीबीए को भी मान्यता दे दी। इसके कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसका परिणाम हुआ कि टूर्नामेंट खत्म हो गए। अभिभावकों में भी अनिश्चय की स्थिति बन गई। इसका सीधा असर प्रतिभाशाली बच्चों पर पड़ा।

अब आगे क्या उम्मीद है। इस सवाल पर 1982 एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता डॉ. अमोला ने कहा कि हमने विवाद खत्म करने की पहल की है। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप दिल्ली से फिर चैंपियन खिलाड़ियों को निकलता हुआ देखेंगे। उन्होंने बताया कि हमने पिछले माह ही दिल्ली स्टेट रैंकिंग प्रतियोगिता टूर्नामेंट सफलतापूर्वक कराया है। जिसमें करीब 1200 बच्चों ने भाग लिया था। बच्चों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है कि दिल्ली से भी साइना और सिंधु जैसी खिलाड़ी निकलेंगी।

दिल्ली के सिरी फोर्ट स्टेडियम में विश्वस्तरीय बैडमिंटन कोर्ट हैं। • फाइल फोटो

अकादमियों की कमी नहीं, प्रतिभाएं निखारनी होंगी

- साकेत
- [illegible]
- पीतमपुरा
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- रूप नगर
- त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
- सिरी फोर्ट (पुराने और नए)
- यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
- बैडमिंटन साई की अकादमी
- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
- यूनिवर्सिटी स्टेडियम
- आईजी स्टेडियम
- नई दिल्ली और परिसर [illegible]
- करनैल सिंह स्टेडियम (रेलवे का)
- बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। [illegible] कैलाश।

15 से भी ज्यादा सरकारी के साथ ही कई निजी बैडमिंटन अकादमी हैं दिल्ली में

02 हजार के आसपास पंजीकृत बच्चे हैं दिल्ली में टूर्नामेंट खेलने वाले

02 संघों के बीच विवाद के कारण राजधानी में बैडमिंटन पर असर पड़ रहा

ये सुधार जरूरी

- बैडमिंटन के खुले आयोजन दोबारा शुरू करने की जरूरत
- कोचिंग और कोच, अकादमी, सरकारी मदद और टूर्नामेंट को एक सूत्र में पिरोना होगा
- तकनीकी ऑफिशियल्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा।

डीडीए उपाध्यक्ष से मिले मनोज तिवारी

नई दिल्ली (का.सं.)। उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता से मुलाकात की।

मनोज तिवारी ने बताया कि शास्त्री पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, केंद्रीय विद्यालय समेत मुकुंदपुर [illegible] पार्क जैसे कार्यों को जल्द से जल्द खत्म करवाने की मांग की। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी भी मौजूद रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED--------------------

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 12 जून, 2022

सरकारी जमीन पर संचालित हो रहे निजी स्कूलों की बढ़ सकती है फीस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी में सरकारी जमीनों पर संचालित निजी स्कूलों की शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से फीस बढ़ सकती है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए कहा कि डीडीए या अन्य एजेंसियों की ओर से आवंटित भूमि पर चल रहे जिन निजी स्कूलों ने सत्र 2020-21 में फीस वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, वह अब निरर्थक है। ऐसे स्कूल सत्र 2022-23 के तहत फीस वृद्धि को लेकर अपना प्रस्ताव निदेशालय को दे सकते हैं।

इसके लिए स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन माध्यम से 12 से 27 जून के बीच शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव जमा करना होगा।

> 21वीं सदी की शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए स्कूलों को नियमित रूप से खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। शिक्षा के वैश्विक मानकों से मेल खाने और नियमित उन्नयन के लिए स्कूल प्रबंधन को पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। मेरी निदेशालय से यही मांग है कि निजी स्कूलों से प्रस्ताव मिलने के बाद स्कूलों को फीस में वृद्धि की अनुमति मिलनी चाहिए। चूंकि बीते पांच-छह साल से फीस वृद्धि न होने से स्कूलों की वित्तीय स्थिति खराब है। इस बीच स्कूलों ने कोरोना की आर्थिक मार भी झेली है। अब दो साल बाद जब स्कूल खुले हैं तो स्कूलों की आधारभूत संरचना समेत अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करनी है।
>
> – भरत अरोड़ा, अध्यक्ष, एक्शन कमेटी आफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल

निदेशालय ने स्कूलों को यह भी स्पष्ट किया कि कोई स्कूल निदेशालय की बिना पूर्व अनुमति के फीस में वृद्धि नहीं कर सकता है। इसके लिए निदेशालय की ओर से पहले सभी प्रस्तावों की जांच की जाएगी। इसके बाद शिक्षा निदेशक की अनुमति मिलने पर ही स्कूल फीस में वृद्धि कर सकेंगे।

वहीं, जिन स्कूलों की ओर से निदेशालय को प्रस्ताव नहीं प्राप्त होगा वे स्कूल भी फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे।

कंक्रीट से जकड़ीं जड़ें, सूख रहे हैं पेड़

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : राजधानी में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन राजधानी के पेड़-पौधों को इसका फायदा बहुत कम ही मिलने वाला है। दरअसल, सड़कों के किनारे व फुटपाथ पर लगे पेड़ों की जड़ें सीमेंट, कंक्रीट या टाइल्स में जकड़ी होने के कारण पेड़-पौधों की जड़ों तक वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है। इस कारण पेड़ कमजोर होकर सूखने लगते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकतर सड़कों को सुंदर बनाने के चक्कर में इनके किनारे कच्ची जगह ही नहीं छोड़ी गई है। सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सर्विस लेन आदि बना दिए जाने से पूरी जमीन कंक्रीट से ढक गई है। इस कारण बारिश का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता और नालों में बह जाता है, जबकि सड़कों के किनारे जगह छोड़ी जानी चाहिए, ताकि बारिश का पानी बरबाद न हो और जमीन में जा सके।

राजा धीर सेन मार्ग पर कंक्रीट से जकड़ी पेड़ों की जड़ें • जागरण

ईस्ट आफ कैलाश डी-ब्लाक आरडब्ल्यूए के महासचिव करण अग्रवाल ने बताया कि इस इलाके में राजा धीर सेन मार्ग समेत आसपास के ज्यादातर मार्गों के फुटपाथ पर लगे पेड़ों की जड़ें कंक्रीट से जकड़ी हुई हैं। कई जगह तो लोगों ने पेड़ों के चारों ओर अतिक्रमण करके चबूतरे बना लिए हैं। करण अग्रवाल ने बताया कि इस बारे में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी व डीडीए तक से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संत नगर, गुरु रविदास मार्ग, एमबी रोड, सीआर पार्क, ओखला व सरिता विहार आदि इलाकों में भी पेड़ों की जड़ें कंक्रीट से जकड़ी हुई हैं। इस कारण ये पेड़ बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं फुटपाथ पर टाइल्स लगाने के लिए तो कहीं चबूतरा बनाने और कहीं सड़क बनाने के नाम पर पेड़ों की जड़ों को चारों ओर से कस दिया जाता है।

पर्यावरणविद भवरीन कंधारी का कहना है कि पेड़ के चारों ओर एक मीटर की जगह छोड़ना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी जमीन में व पेड़ों की जड़ों में जा सके। सिविक एजेंसियां इसका पालन नहीं करती हैं। उन्होंने इस बारे में पीडब्ल्यूडी व अन्य सिविक एजेंसियों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए और अपने घर के आसपास सिविक एजेंसियों को पेड़ों की जड़ों को कंक्रीट से जकड़ने से रोकना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI ---DATED--- JUNE 12, 2022

Another notice, CR Park traders go to LG

Times News Network

New Delhi: In a major setback for them, fish sellers in south Delhi's Chittaranjan Park have been served show-cause notices by the Municipal Corporation Delhi and asked to give an undertaking that they will shut shop. The East Bengal Displaced Persons' (EBDP) Association wrote to Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday seeking regularisation of the fish platforms in the two popular markets in the locality.

In a letter to the LG, the apex RWA of CR Park alleged that fish vendors of Market No. 1 and No. 2 had been "harassed and issued closure notices" by MCD's veterinary department and by personnel of the local police station for "violation of norms."

Stating that the platforms were allotted to the vendors by Delhi Development Authority, EBDP said, "Now, suddenly after three decades, MCD issues closure notices and has asked the police to take action against the violators. We are of the opinion that the closure of markets is not the solution. The authorities and other stakeholders should find an alternative solution so that the poor fish platform owners are not deprived of their livelihood. The residents too wouldn't be deprived of their staple diet."

The association also said the vendors were ready to bear the cost of modifying the platforms if required and that they were "ready to undertake further sanitisation and hygiene as per the norms for 2021". They also informed the local veterinary inspector that they would provide a tinted glass enclosure so that the cutting of fish is "hidden and not visible from outside".

A notice dated June 9 was served to nearly a dozen vendors in CR Park's Market No. 1 and 2, charging them with operating from open platforms which were against licensing policies approved by the civic body.

YOU READ IT HERE

Corpn goes after CR Park fish markets: Vendors get notice

Apr 7 2022

This is not the first time that the fish sellers have been served notices by the civic body for violation of norms. In April, the two popular fish markets in CR Park — the "mini Kolkata" of the city — faced an existential threat with the erstwhile South Delhi Municipal Corporation questioning the legality of their operation and directing them to shut down.

The vendors, many of whom have been carrying out their business for several decades now, have consistently contended that their current business spots were allotted to them by DDA and that they had always heeded the regulations. They claim that the fish platforms, each around 2.25 sq ft, were constructed by DDA in 2003 and allotted to eligible candidates as listed by the land & development office.

After the latest notice, the shop owners said that they are contemplating legal remedy. Tapan Bose, who has been running his business in Market No. 1 for 47 years, said, "MCD has given us seven days to respond and we will submit our responses by Monday. We will inform them that we need more time. In the meantime, we are also exploring our options on legal remedies. In recent days, police have also visited us and similarly asked us to close down. This is not an unauthorised market, so how can there be demolitions?"

Many are hoping that popular pressure from the fish-loving Bengali community will help them. "Our only hope now is that the East Bengal Displaced Persons' Association will support us, as will our regular customers. What other option do we have?" asked Aurobindo Das, a fish vendor at Market No. 2.

'Maintain quality while building park'

Times News Network

New Delhi: Delhi lieutenant governor Vinai Kumar Saxena on Saturday carried out an on-site inspection of the upcoming Bharat Vandana Park in Dwarka.

LG Saxena visited the Bharat Vandana Park site in Dwarka on Saturday

The ambitious project, which is being developed by NBCC under the aegis of Delhi Development Authority (DDA), aims to portray India's cultural, linguistic and geographical diversity by creating a 'Mini India' in the national capital, Raj Niwas said in a statement.

It said that after visiting the site and taking note of the civil work, the LG directed senior officials of DDA and NBCC to ensure highest standards of construction through constant quality controls. No compromise in quality will be accepted, he said.

Saxena also asked the officials to try and complete the project before the set deadline. He added that he will personally monitor the progress through site visits on a monthly basis, the statement said.

It further stated that the LG was satisfied at the progress made so far, considering the pandemic-induced lockdowns and periodic pollution-related bans on construction in the city.

Saxena said in the statement that the iconic project will not only bring about a sea change in the landscape of the area but also emerge as a world class recreational and educational tourist destination for the residents of Delhi as well as its visitors.

The project's timely completion and public dedication during the ongoing Aazadi Ka Amrit Mahotsav — AKAM — will be a befitting tribute to commemorate 75 years of our Independence in line with the theme of 'Action and Achievement' enunciated by prime minister Narendra Modi, he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED------------

नई दिल्ली, 12 जून, 2022 दैनिक जागरण 5

उच्चतम मानकों के साथ हों निर्माण कार्य : एलजी

- एलजी ने किया द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क में निर्माण का निरीक्षण
- कहा, तय समय से पहले पूरा हो पार्क को विकसित करने का कार्य

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका में विकसित किए जा रहे भारत वंदना पार्क में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्य प्रगति तथा निर्धारित समय सीमा की समीक्षा की।

उपराज्यपाल ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए डीडीए और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, कहा कि निर्माण कार्यों में उच्चतम वैश्विक मानकों का पालन हो। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक माह व्यक्तिगत रूप से इस पार्क के निर्माण का निरीक्षण करेंगे।

अब तक पूरे हो गए निर्माण कार्यों पर संतुष्टि जाहिर करते हुये उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लाकडाउन और प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्यों पर समय समय पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बावजूद यहां काम चलता रहा, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रयास करें कि पार्क का निर्माण तय समय सीमा से पहले हो, ताकि जल्दी से जल्दी दिल्ली तथा राष्ट्र को इसे समर्पित किया जा सके। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता को दर्शाता ये पार्क राजधानी में लघु भारत को प्रतिबिंबित करेगा।

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 12 जून 2022

एलजी ने पार्क में बेहतरीन सामग्री इस्तेमाल करने को कहा

द्वारका में भारत वंदना पार्क के समय से पहले बनने की उम्मीद

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका में बन रहे भारत वंदना पार्क का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा हो जाने की संभावना है। इस पार्क में भारत की संस्कृति और भौगोलिक विविधता की झलक देखने को मिलेगी। पार्क में कुछ ऐतिहासिक स्मृति चिह्न भी कई राज्यों से पहुंच चुके हैं। शनिवार को एलजी वी.के. सक्सेना ने पार्क का निरीक्षण किया।

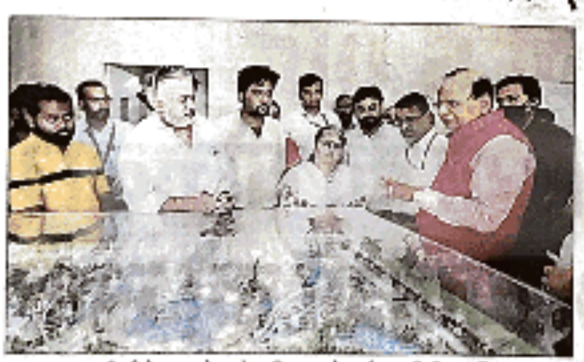

एलजी वी.के. सक्सेना ने शनिवार को पार्क का निरीक्षण किया

पार्क पूरे भारत की झलक समेटे होगा इसलिए इसे 'मिनी इंडिया' भी कहा जा रहा है। डीडीए इस पार्क का काम एनबीसीसी के साथ मिलकर पूरा कर रहा है। पार्क में राज्यों की ऐतिहासिक इमारतों और स्मृति चिह्न के प्रतिरूप भी देखने को मिलेंगे। इन्हें तैयार करने का काम राज्यों को ही दिया गया है। कुछ राज्यों से यह स्मृति चिह्न पार्क में पहुंचने लगे हैं। इनमें मिजोरम के वांगछिया गांव के मनहीर पत्थर भी शामिल हैं। मिजोरम के इस गांव को 171 मनहीर पत्थरों की वजह से मिजोरम की पहली संरक्षित आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया था।

मिजोरम के वांगछिया गांव से लाए गए मनहीर पत्थर यहां लगाए गए हैं

दिखेगी विविधता

- कई राज्यों से ऐतिहासिक स्मृति चिह्न भी पार्क में आ चुके हैं
- एलजी ने कहा, हर महीने करेंगे पार्क का दौरा

एलजी ने यहां जारी काम का निरीक्षण करने के बाद डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को इस पार्क में बेहतरीन निर्माण सामग्री अपनाने को कहा है। उन्होंने साफ कहा कि क्वालिटी से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। एलजी ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए वे हर महीने यहां का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को वह चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही जनता को समर्पित करना चाहते हैं।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
रविवार
12 जून 2022

भारत वंदना पार्क समय से पूर्व तैयार हो: एलजी

निर्देश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उपराज्यपाल वीके सक्सेना हर महीने भारत वंदना पार्क के निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे, ताकि पार्क का निर्माण समय से पहले और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सके।

उपराज्यपाल ने शनिवार को यहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और राजधानी की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाली इस परियोजना को समय से पहले पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। ताकि, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसे शुरू किया जा सके। उन्होंने खुद हर महीने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने की बात कही। अभी तक हुई प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते लंबे चले लॉकडाउन और समय-समय पर प्रदूषण के चलते काम बंद होने के बावजूद परियोजना पर प्रगति हुई है। द्वारका में बनने वाले पार्क का निर्माण डीडीए और एनबीसीसी की ओर से कराया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED--------------------

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 जून, 2022

सीआर पार्क के मछली विक्रेताओं को निगम ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिल्ली के चितरंजन पार्क में खुले प्लेटफार्म पर बिना लाइसेंस के मांस और मछली की दुकानें चलाने का हवाला देते हुए मांस और मछली बाजार को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

साथ ही विक्रेताओं से दुकानों को बंद कर देने से संबंधित अंडरटेकिंग की मांग भी की है। इस मामले में ईस्ट बंगाल डिस्प्लेस्ड पर्सस (ईबीडीपी) संस्थान ने एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क स्थित एक नंबर व दो नंबर मार्केट में मछली की दुकानों को नियमानुसार संचालित कराने के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में मार्केट के मछली विक्रेताओं को प्रताड़ित करने व दुकानों को बंद करने के आदेश का जिक्र किया गया है। मालूम हो कि नौ जून को मार्केट के कई दुकानदारों को दिए गए नोटिस के अनुसार, मार्केट में खुले में मांस बेचना सिविक एजेंसी की लाइसेंसिंग पालिसी के खिलाफ है। मामले में संबंधित पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारी सवालों से बचते नजर आए।

इससे पहले अप्रैल में भी मछली विक्रेताओं को तत्कालीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजा था। दरअसल, इन बाजारों में डीडीए ने विक्रेताओं को जो चबूतरे आवंटित किए थे उनके दस्तावेज पर कहीं भी यह नहीं दर्ज है कि ये चबूतरे मछली बेचने के लिए दिए जा रहे हैं। इसमें एक पेंच यह भी आ रहा है कि इनके चबूतरे चार बाई चार फुट के हैं, जबकि लाइसेंस के लिए कम से कम 15 बाई 15 फुट के होने चाहिए। हालांकि निगम के अधिकारियों का कहना है कि चार-चार विक्रेता मिलकर लाइसेंस ले लें और तालमेल कर दुकान चलाएं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली सोमवार 13 जून 2022 ----DATED----

राजधानी के पांच इलाकों में पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रहीं

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल चलना अधिक सुरक्षित होगा

बदलती दिल्ली

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली में पैदल यात्रियों को दुर्घटनाओं से बचाने और यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2019 में वॉकेबिलिटी परियोजना तैयार की थी। परियोजना के तहत 15 से अधिक स्थानों पर सुविधा का विकास होना है। इनमें से पांच स्थानों पर इसे पहले चरण में शुरू किया जा रहा है।

डीडीए की इंजीनियरिंग विंग यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर (यूटीपैक) ने बीते दिनों योजना को पांच स्थानों पर लागू करने के लिए मंजूरी दी है। इन स्थानों के लिए पेश मॉडल को यूटीपैक ने स्वीकार कर लिया है। इनमें से लक्ष्मी नगर और नेहरू प्लेस में योजना पर काम शुरू भी हो चुका है। डीडीए के अधिकारियों की ओर से किए अध्ययन के मुताबिक, इन स्थानों पर प्रतिदिन 20 हजार से अधिक पैदल यात्री पहुंचते हैं।

40 फीसदी सड़कों पर फुटपाथ चलने लायक नहीं : वॉकेबिलिटी परियोजना के लिए किए गए अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली में जितना बड़ा सड़कों का नेटवर्क है, उसमें 40 फीसदी सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है। शेष 60 फीसदी पर फुटपाथ तो है, लेकिन जर्जर हालत में है। जिस कारण पैदल यात्रियों को सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

15 स्थानों के लिए योजना : पहले चरण में 15 स्थानों के लिए पैदल यात्रियों के लिए योजना तैयार की गई है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने का काम मुस्तैदी से रखने वाली संबंधित एजेंसियां करेंगी। इसे लागू करने में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अलावा निगम, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस समेत अन्य संबंधित विभागों की अहम जिम्मेदारी होगी।

77 फीसदी शहरी गरीब रोजाना पैदल यात्रा करते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार

50 फीसदी लोग मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं

58 फीसदी लोग शैक्षिक कार्यों के लिए पैदल यात्रा करते हैं

इन पांच स्थानों का विकास

ये सुधार होंगे

- फुटपाथों को बैरियर मुक्त किया जाएगा।
- बेंच, कूड़ेदान और संकेतक लगाए जाएंगे।
- छायादार वृक्ष लगेंगे, क्योस्क के लिए वेंडिंग जोन बनेंगे।
- फुटपाथ से सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
- पैदल पार पथ नो व्हीकल जोन के रूप में तैयार होंगे।
- फुटपाथों से जुड़े सब-वे को व्यावसायिक गतिविधियों, पेंटिंग्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सुरक्षित बनाया जाएगा।
- स्कूल-कॉलेजों और अस्पतालों के आसपास भी राहगीरों के लिए सुगम व्यवस्था की जाएगी।
- बीच-बीच में आराम करने के स्थान और पीने के पानी का भी प्रबंध किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS — Hindustan Times — DATED — NEW DELHI MONDAY JUNE 13, 2022

Traffic plan for NDLS revamp to help ease congestion at Connaught Place

Risha Chitlangia
rishachitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Rail Land Development Authority (RLDA) will invite bids for the implementation of the traffic circulation and road improvement plan around the New Delhi Railway Station in July. The ₹1,000-crore traffic circulation project — part of the overall New Delhi station revamp plan — will not only ease access to the new complex but also help decongest Connaught Place, said senior RLDA officials.

Ved Parkash Dudeja, vice-chairman of RLDA, said, "A detailed plan has been prepared to cater to the increase in traffic and ensure smooth traffic movement in and around the station complex. This will also help in reducing congestion in Connaught Place. We will invite the bids for implementation of the project next month."

"The project will be executed on engineering procurement and contract (EPC) model," said a senior DDA official. Under the EPC model, government invites bids for engineering knowledge from the private players and bears the entire cost of construction and material.

According to the plan, RLDA will construct 23-lane kilometres of elevated corridors (a total road of nearly 11km) and widen road arteries around the station such as Panchkuian road, Basant Road, Chelmsford Road, Bhavbhuti Marg and Minto Road in the first phase of the project. Since the roads belong to Delhi government's Public Works Department (PWD), RLDA officials said that the plan has been prepared in consultation with the agency.

Lane kilometre is a method employed by the National Highways Authority of India (NHAI) that involves measuring the length of each new lane that is built instead of counting the overall length of the highway. For instance, one km of a four lane highway is counted as four kilometres under the method.

"We are just improving the capacity of roads around the station so that they can take the increased traffic load. The plan has been discussed with PWD officials and necessary permission will be taken when the work starts. For the road widening work at Basant Road, a portion of the railway land will be used," said a senior RLDA official, aware of the development.

A Delhi government spokesperson said, "This project will not only solve the congestion problem, but also provide open spaces to people and beautify the area."

After the first phase of the revamp, the built-up area of the New Delhi station — one of the busiest rail hubs in the country — is going to increase from the current approximately 1.1 million sq ft to over 5.5 million sq ft. After the full revamp, the total built-up area of the station will increase to nearly 33 lakh sq.ft.

Senior RLDA officials said that the road improvement is necessary as footfall in the area is going to increase, as new commercial and office complexes and residential facilities etc are proposed to come up as part of the station redevelopment plan. Currently, 450,000 passengers visit the station daily (160-170 million people annually).

Currently, there are two main entry points to the station from Ajmeri Gate and Paharganj, and both are congested.

To ensure there are no traffic jams due to the increase in vehicular traffic around the station, RLDA has decided to have separate entry and exit routes to the station complex. "The station bound traffic will enter from Basant Road, Chelmsford Road and Deen Dayal Upadhyay Marg. Two elevated sections will be constructed on Basant Lane and Chelmsford Road for entry to the station. A flyover will be constructed on DDU marg for the entry," said an official.

Similarly, traffic will exit the station using the ramps constructed on Chelmsford Road, Bhavbhuti Road, and Asaf Ali Marg, said a senior RLDA official.

The traffic circulation plan, which will be executed by RLDA, was approved by the Unified Traffic and Transportation (Planning and Engineering) Centre (UTTIPEC) in December last year.

The State Entry Road is proposed to be developed as a pedestrian only street. "The project will be completed within four years from the date of start," RLDA officials said.

A complete refresh for NDLS

PARKING FACILITIES

- Seven-storey multilevel parking lot and offices on either side of the station. The lots will be able to house 5,000 vehicles
- Bus bays will be built on the ground floor of the parking lots
- Both lots will be connected to the station concourse

TRAFFIC IMPROVEMENT

- Around 23km of road network around the station to be revamped
- Elevated corridors on Basant Road and Chelmsford Road
- Multiple flyovers, widening of Desh Bandhu Gupta railway overbridge
- Universally accessible infrastructure

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER ---------- DATED----------

अमर उजाला शनिवार, 11 जून 2022

1800 करोड़ से साफ होंगी तीनों लैंडफिल साइट

दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार से मांगा पैसा

आदित्य पाण्डेय

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम को 1800 करोड़ रुपये मिलेंगे, तभी तीनों लैंडफिल साइट साफ हो पाएंगी। एमसीडी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार से यह पैसा मांगा है।

मौजूदा समय में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर करीब 280 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिम्मेदारी संभालने के बाद लैंडफिल साइट की सफाई को पहली प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार किया

है। उन्होंने 30 मई को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया और चार जून को ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इसके बाद एलजी ने कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए एमसीडी से एक्शन प्लान मांगा। एमसीडी ने उन्हें जो एक्शन प्लान दिया, उससे एलजी संतुष्ट नहीं हुए।

अब तक 90 करोड़ रुपये मिले

एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक 1800 करोड़ में से केंद्र सरकार ने 775 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को दे दिए हैं। एमसीडी को दिल्ली सरकार के माध्यम से पैसा मिलता है। ऐसे में दिल्ली सरकार से एमसीडी को उस पैसे में से अभी 174 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी है, जिसमें से केवल 90 करोड़ रुपये अभी तक मिले हैं।

अब उन्होंने एमसीडी को सालभर के भीतर लैंडफिल साइट को समाप्त करने का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा है।

10000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है रोज

दिल्ली में रोज 10000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इसमें से करीब 2000 मीट्रिक टन कचरा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर जाता है, जबकि 6000 मीट्रिक टन कचरा भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर भेजा जाता है।

एनएचएआई ले रहा कचरे से निकली मिट्टी

मौजूदा समय में एमसीडी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकलने वाली इनर्ट (निष्क्रिय कचरे वाली मिट्टी) का केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपयोग किया जा रहा है। एनएचएआई इसे मोहनपुर और द्वारका की अपनी साइट पर सड़कों की भराई में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी ने एनएचएआई को पौधरोपण करने के लिए जगह दी है। इस गहरी जगह को समतल करने के लिए भी इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है।

डीडीए से जमीन मांगी : एमसीडी ने करीब 85 लाख मीट्रिक टन इनर्ट रखने के लिए डीडीए से जमीन मांगी है। डीडीए से इसको लेकर बातचीत जारी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के भवन निर्माण से जुड़े ठेकेदारों से भी संपर्क किया जा रहा है। वह इस मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं।

पंजाब केसरी

निजी स्कूल बिना मंजूरी के नहीं बढ़ा सकेंगे फीसः निदेशालय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी होने से अभिभावकों पर फीस का अधिक बोझ पड़ने जा रहा है। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों से फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। निजी स्कूलों को यह प्रस्ताव दस्तावेज के साथ 12 से 27 जून तक भेजना होगा। हालांकि जो स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार निजी स्कूलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शिक्षा निदेशालय देखेगा। अगर निदेशालय को प्रस्ताव में सबकुछ ठीक लगेगा तो निदेशालय स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत देगा। कोरोना के समय स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति थी, स्कूलों पर सालाना शुल्क और विकास शुल्क लेने की रोक लगा दी गई थी। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्कूलों को 15 प्रतिशत छूट के साथ सालाना और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। सरकारी जमीन पर बने इन निजी स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी के लिये 12 से 27 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा निदेशक के अनुसार स्कूलों के द्वारा दिये गये प्रस्ताव की अधिकारी या शिक्षा निदेशक की टीम के द्वारा जांच की जाएगी।

बिना अनुमति बढ़ेगी फीस तो होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जो स्कूल बिना अनुमति के इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बिना अनुमति के फीस बढ़ाते हैं और ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीडीए के द्वारा लीज पर दी गयी जमीन को भी रद्द कर दी जायेगी।

तिवारी ने की डीडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता से मुलाकात की। इस अवसर पर डीडीए सांसद प्रतिनिधि एवं जिला उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी भी मौजूद रहे। सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में लंबित पड़े कार्य शास्त्री पार्क मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्सव पंडाल जगतपुरी विस्तार झड़ौदा माजरा में 13 एकड़ जमीन पर केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटन मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समुदाय भवन पुराना गढ़ी मांडू गांव में दिल्ली हाट खजूरी खास में 5 एकड़ के पार्क के लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की। साथ ही बुराड़ी के मुकुंदपुर में 24 एकड़ जमीन पर झील पार्क एवं खेल के मैदान बनाने संसदीय क्षेत्र की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई जमीनों को विकसित करने का अधिकारियों को प्रस्ताव दिया। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि डीडीए द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्य पूरे किए हैं, जो जनहित में समर्पित हो चुके हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— अमर उजाला ——DATED 12-06-2022

कवायद

उपराज्यपाल ने डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को दिए निर्देश

भारत वंदना पार्क की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को द्वारका में निर्माणाधीन भारत वंदना पार्क की साइट का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अधिकारियों से कहा कि पार्क की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता वह हर महीने इसका निरीक्षण करेंगे।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका में निर्माणाधीन भारत वंदना पार्क की साइट का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अमर उजाला

उपराज्यपाल ने डीडीए और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वह इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच करें और सुनिश्चित करें कि उच्चतम मानकों वाली निर्माण सामग्री ही इस्तेमाल हो। साथ ही, निर्माण निर्धारित समय सीमा से पहले किया जाए। कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा, लेकिन मौजूदा समय इसकी कार्य प्रगति से उपराज्यपाल संतुष्ट थे। 15 अगस्त 2023 से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा होना है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह प्रतिष्ठित परियोजना न केवल राजधानी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि यहां आने वाले आगंतुकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझना आसान होगा। आगंतुकों को यहां पर मनोरंजक के साथ-साथ सीखने समझने का भी एक अलग माहौल मिलेगा।

यहां दिखेगा मिनी इंडिया

भारत वंदना पार्क डीडीए और एनबीसीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे स्वतंत्र देश की आजादी के 75वें वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में मिनी इंडिया बनाना है। करीब 200 एकड़ में कमल के आकार में तैयार होने वाले इस पार्क में इको जोन, वाटर बॉडी, बोटेनिकल गार्डन के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मशहूर पर्यटन स्थल की झलक देखने को मिलेगी। यहां पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता के सभी रंग देखने को मिलेंगे।

पंजाब केसरी DELHI

अधिकारियों को दिए निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

उपराज्यपाल ने लिया भारत वंदना पार्क के निर्माण कार्यों का जायजा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को द्वारका में विकसित किये जा रहे भारत वंदना पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। एलजी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सारे काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्माण कार्यों में उच्चतम वैश्विक मानकों का पालन करने को कहा। साथ ही कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। कोविड की वजह से निर्माण कार्यों पर समय-समय पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के बावजूद यहां काम चलता रहा लेकिन अब इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। सक्सेना ने कहा कि ये न केवल इलाकों के लैंडस्केप का खूबसूरत संवर्धन करेगा बल्कि दिल्ली के नागरिकों और देशभर से आये सैलानियों के लिये एक विश्वस्तरीय पर्यटन, शिक्षा एवं रमणीकता का केन्द्र बनेगा।

निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते विनय कुमार सक्सेना।

प्रत्येक महीने निर्माण कार्य की होगी समीक्षा

एलजी ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता को दर्शाता ये पार्क देश की राजधानी में मिनी इंडिया को प्रतिबिंबित करेगा। इस पार्क को डीडीए के तत्वावधान में एनबीसीसी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। वह प्रत्येक माह व्यक्तिगत रूप से इस पार्क के निर्माण का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह पार्क का निर्माण निर्धारित समय सीमा से पहले हो ताकि जल्दी से जल्दी दिल्ली तथा राष्ट्र को इसे समर्पित किया जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

रविवार • 12 जून • 2022 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

सरकारी जमीन पर चलने वाले निजी स्कूल

फीस वृद्धि का प्रस्ताव जमा कर सकते हैं : शिक्षा निदेशालय

नई दिल्ली, (एसएनबी)। दिल्ली में सरकारी जमीन पर चल रहे निजी स्कूल 2022-2023 सत्र के लिए शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी। विभाग ने कहा कि स्कूल पूर्व अनुमति के बिना शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) या अन्य भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत सत्र 2020-2021 के लिए सभी लंबित शुल्क वृद्धि प्रस्ताव निष्फल हो गए हैं। ऐसे स्कूल सत्र 2022-23 के लिए अपने शुल्क वृद्धि प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए 12 जून (रविवार) से 27 जून के बीच अपने शुल्क वृद्धि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने दो साल के अंतराल के बाद शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव मांगे हैं। डीओई ने 2020 में पूर्णबंदी के बाद स्कूलों को ट्यूशन शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया था और उन्हें शुल्क बढ़ाने से रोक दिया था। परिपत्र में कहा गया कि विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा दल के माध्यम से की जाएगी। ऐसे सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक शिक्षा निदेशक द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि इस आदेश के जवाब में विद्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह सत्र 2022-23 के लिए अपने शुल्क में वृद्धि नहीं करेगा।

> विभाग ने कहा कि स्कूल पूर्व अनुमति के बिना शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते

भारत वंदना पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे एलजी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

द्वारका में निर्माणाधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के भारत वंदना पार्क का उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को निरीक्षण किया। उप-राज्यपाल ने डीडीए एवं एनबीसीसी के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पार्क का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। भारत वंदना पार्क का शिलान्यास लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। भारत वंदना पार्क डीडीए का महत्वपूर्ण एवं मेगा प्रोजेक्ट है और करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। भारत वंदना पार्क को मिनी इंडिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। निरीक्षण की जानकारी उप-राज्यपाल ने ट्वीटर पर भी दी है।

उप-राज्यपाल ने कहा भारत वंदना पार्क उप-नगर द्वारका की यह पहली पहचान बनेगा। दिल्ली के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भारत वंदना पार्क में विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां उपलब्ध होंगी और एक पर्यावरण-वन क्षेत्र और झीलें विकसित की जा रही हैं। उप-राज्यपाल ने ट्वीटर पर भारत वंदना पार्क की कुछ ताजा तस्वीरें भी साझा की हैं। उप- राज्यपाल ने लिखा है कि

द्वारका में महत्वाकांक्षी भारत वंदना पार्क के निर्माण कार्यों और प्रगति का जायजा लिया। उच्च श्रेणी की गुणवत्ता पर जोर दिया। साथ ही डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्माण के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयसीमा से पहले परियोजना को पूरा करने का प्रयास करें।"

> उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश

इससे पहले पूर्व उप-राज्यपाल अनिल बैजल भी समय-समय पर भारत वंदना पार्क के निर्माण कार्य का जायजा लेते रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार अगस्त, 2021 में अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था और भारत वंदना पार्क परियोजना को निर्धारित समयसीमा का 'कड़ाई से अनुपालन' करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने उम्मीद जतायी है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारत वंदना पार्क दिल्ली के लोगों को सौंप दिया जायेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | JUNE 12, 2022

--------DATED--------

Ensure highest standards of construction in Dwarka Park, LG directs officials

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday visited the site of the upcoming Bharat Vandana Park in Dwarka, and directed officials to ensure the "highest standards" of construction in the project.

The park coming up in the Dwarka sub-city will be spread over 220 acres. It will be a major tourist attraction as it will have replicas of important monuments from different states, an eco-forest zone, and lakes, officials said.

The Delhi L-G, who is also the chairman of the Delhi Development Authority, tweeted pictures from his site visit.

"Took an on-site stock of the works & progress at the ambitious upcoming Bharat Vandana Park in Dwarka. Stressed on pristine quality & instructed officials from @official_dda & NBCC to try complete the project before scheduled deadline, ensuring highest standards of construction," he said.

As per the statement released by the LG office, "After undertaking a round of and witnessing the civil works in progress, the LG directed senior officials of the DDA and NBCC present on the occasion to ensure highest standards of construction through constant quality controls and checks. He also warned the officials that no compromise in quality will be accepted."

"Asking the officials to try and complete the project for dedication to the nation and the city before the scheduled deadline, Saxena said that he will personally monitor physical progress through site visits on a monthly basis," it said. "Satisfied with the progress

made so far, despite the pandemic related lockdowns and periodic pollution related bans on construction in the city, the LG said that this iconic project will not only bring about a sea change in the landscape of the area but also emerge as a world class recreational and educational tourist destination for residents of Delhi and its visitors alike," the statement said.

Pvt schools on Govt land can't increase fees without DOE approval in Delhi

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Private schools running on Government land in Delhi can submit proposals for a fee hike for the 2022-2023 academic year but cannot increase fees without prior approval of the Directorate of Education (DOE).

The DoE has issued a circular stating that the private schools operating on government land in the national capital can submit proposals for a fee hike for the 2022-2023 academic year.

The department has reiterated that the schools cannot hike fees without its prior nod.

According to the circular issued by the DoE, "All the pending fee hike proposals submitted by the private unaided recognised schools running on the land allotted by the DDA (Delhi Development Authority) or other land-owning agencies...For session 2020-2021 have become infructuous...Such schools may submit their fee hike proposals, if any, for the session 2022-23."

The schools can submit their fee-hike proposals for the current academic year between June 12 (Sunday) and June 27.

The Delhi government has sought fee hike proposals after a gap of two years. After the lockdown in 2020, the DoE had directed the schools not to collect any fee except the tuition fee and prohibited them from increasing the fees.

"The proposal submitted by the schools shall be scrutinised and examined by the Director of Education through any officer or team authorised on this behalf. All such schools are strictly directed not to increase any fee until the sanction is conveyed to their proposal by the Director of Education. In case no proposal is submitted by the school in response to this order, the school shall not increase its fee for the academic session 2022-23," the circular further said.

दैनिक भास्कर

उपराज्यपाल ने भारत वंदना पार्क का निरीक्षण किया, कहा-निर्माण के सर्वश्रेष्ठ मानक सुनिश्चित करें

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किये जा रहे भारत वंदना पार्क में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, पार्क की कार्य प्रगति तथा निर्धारित समय सीमा की समीक्षा की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि भारत वंदना पार्क भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता को दर्शाता ये पार्क देश की राजधानी में मिनी इंडिया को प्रतिबिंबित

करेगा। भारत वंदना पार्क की खूबियों के के बारे में सक्सेना ने कहा कि, ये न केवल अपने आस पास के इलाकों के लैंडस्केप का खूबसूरत संवर्धन करेगा बल्कि दिल्ली के नागरिकों और देश भर से आये सैलानियों के लिये एक विश्वस्तरीय पर्यटन, शिक्षा एवं रमणीयता का केंद्र भी बनेगा।

उप राज्यपाल ने पार्क में निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुये डीडीए और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्माण कार्यों के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये और ये सुनिश्चित करने को कहा कि चल रहे निर्माण कार्यों में उच्चतम वैश्विक मानकों का पालन हो। उन्होंने कहा कि क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA[PER] 13 जून • 2022 राष्ट्रीय सहारा [DA]TED

रेहड़ी पटरी वालों को किसी का डर नहीं

दिल्ली में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बड़ी दुकानों पर ही नहीं, बल्कि रेहड़ी पटरी पर भी खुल्लेआम होते हैं। रेहड़ी पटरी वाले प्लास्टिक में सब्जी तोल कर ग्राहक को देते हैं। किसी को किसी का डर नहीं, क्योंकि या तो हमारा कानून सख्त नहीं या फिर संबंधित अधिकारी इसका पालन नहीं करवाना चाहते। मेरा दिल्ली सरकार के संबंधित उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि इस काम को और लंबित न करें और इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई कर जनता को राहत प्रदान करें।

सुखबीर सिंह,मदनगीर।

गली की स्ट्रीट लाइट रहती हैं बंद

कापसहेड़ा में राधेश्याम मंदिर वाली गली में रोज मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यहां पुरा दिन गली में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहा है और उनमें लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। असमाजिक तत्वों को किसी का डर नहीं। समझ में नहीं आता कि स्थानीय पुलिस यहां गश्त क्यों नहीं करती। क्या उनको इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं। इस तरह की अवांछित गतिविधियों से इस गली के लोग डरे हुए हैं। उनके साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। इस गली में रहने वाले शाम होते ही गली में जाने से डरते हैं। अब तो स्थिति और भयानक हो गई है। इस गली में स्ट्रीट लाइट पोल पार लगी एक भी लाइट नहीं जलती और पूरी रात घुप अंधेरा रहता है। हम गली वासियों का इस क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस अथवा बीएसईएस के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि राधेश्याम मंदिर वाली गली कपासहेड़ा में स्ट्रीट लाइट पोल्स पर लाइट जलवाने का कष्ट कर यहां के निवासियों को राहत एवं सुरक्षा प्रदान करे।

कापसहेड़ा के दुःखी निवासी।

मोची गांव में पार्किंग न होने से लोग परेशान

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा के चलते आज तक गांव अलकपुर बाग मोची (गांव मोची बाग) के निवासी वाहन पार्किंग की असुविधा से जूझ रहे हैं। बार बार जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद आज तक गांव के लोगों के लिए वाहनों की पार्किंग नहीं बन पाई है, जिससे गांववासियों में भयंकर रोष व्याप्त है। वाहन पार्किंग न होने से गांववासियों को मजबूरन अपने वाहन गांव के बाहर सड़कों पर पार्क करने पड़ते हैं। फलस्वरूप जहां वाहन न सिर्फ असुरक्षित रहते हैं वरन महीने-दो-महीने में चोरी भी होते रहते हैं। वाहन चोरी की घटनाओं से गांववासी खासे परेशान रहते हैं।

विदित हो कि सड़कों पर वाहन पार्क होने से अक्सर यहां जाम की स्थिति भी बनी रहती है। माननीय उपराज्यपाल, डीडीए उपाध्यक्ष और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध है कि श्री राम मंदिर पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग अथवा गुरुद्वारे के सामने रिक्त क्षेत्र में वाहन पार्किंग बनवाने की पहल करें।

सोमदत्त तंवर, गांव मोची बाग, नानक पुरा।

सिरस पुर से गुरुद्वारा रोड पर गहरे गड्ढे और ट्रकों का लगा रहता है जमावड़ा

सिरस पुर गांव से जीटीके करनाल रोड से 2 किलोमीटर रास्ते में जगह-जगह पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इसके साथ ही दो पहिया वाहन वाले पैदल यात्रियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते में अक्सर ट्रैक्टर का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण भी कई परेशानियां होती हैं। अनेक बार इस रास्ते से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम अगर इस रास्ते पर ठीक प्रकार से कार्रवाई करें तो गांव में आने जाने वाले यात्री गणों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सकता है।

विजय कुमार धानिया सिरस पुर।

यहां घूमते आवारा पशुओं से हो रही दिक्कत

वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वजीरपुर जेजे कॉलोनी, अशोक विहार फेस-2 में चौधरी खिम्मन सिंह पार्क के पास, जिनगर में शंकर चौक के आस-पास, शालीमार बाग में शीशमहल पार्क के पास, पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास और आदर्शनगर मेट्रो व जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास आवारा पशु यहां वहां बैठे रहते हैं और सड़कों पर घूमते रहते हैं। इसके चलते एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों को जान का खतरा बना रहता है और आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन आवारा पशुओं के मालिक इन पर मुहर व कान पर टैग लगाकर सड़कों पर सुबह छोड़ देते हैं और शाम को दूध निकालने के समय ले जाते हैं। सारा दिन यह आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, गाय कूड़ा और प्लास्टिक की पन्नी खाती है और गंदगी फैलाती है, जिससे गायों के बीमार होने का खतरा बना रहता है। सड़कों पर फैली गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है। बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, इन गायों को गऊशाला में भेजा जाए। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर और विशेष अधिकारी से अनुरोध है कि इन आवारा पशुओं को हटाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके।

हरी किशन जिंदल, वजीरपुर।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- पंजाब केसरी ---DATED 13-06-2022

लापरवाही | स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन का कई बार खटखटाया दरवाजा, समस्या जस की तस बरकरार

तीन दशक से द्वारका के नाले नहीं हुए साफ

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते बीते तीन दशक से द्वारका के नालों की सफाई नहीं हो पाई है। जिसका खामियाजा यहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आलम तो यह है कि नालों की सफाई कराने के लिए स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन का दरवाजा भी कई बार खटखटाया। लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों की समस्या की सुध लेने की बजाय चैन की नींद सोने में व्यस्त है। इनकी लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि द्वारका सेक्टर -3 स्थित पालम नाला से जुड़ा मटियाला नाला का जो लगभग तीस सालों से ज्यों का त्यों बिना सफाई के वैसे ही पड़ा हुआ है और लोग बरसात में जल के निकासी का इंतजार करते रहते हैं।

हैरत की बात यह है कि द्वारका उपनगर को बसे लगभग तीस साल हो गए। लेकिन ऐसे नालों का परिचालन अभी तक नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि बरसात के दिनों में जहां दिल्ली पानी-पानी हो जाती है। वहीं द्वारका के नालों की सफाई नहीं होने के चलते लोगों के घरों में पानी भर जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि द्वारका के नाम पर पप्पन कला के नाम को बदलकर भव्य द्वारका बनाने का ख्वाब अब धूमिल पड़ता नजर आ रहा है।

नालों की सफाई नहीं हो पाई है जिससे जल निकासी की समस्या बनी हुई है।

नाला की सफाई के लिए एलजी को पत्र

यहां के मधु विहार आरडब्ल्यूए के प्रधान रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया कि उन्होंने डीडीए द्वारका के मुख्य अभियंता को इस नाले के संदर्भ में लिखा गया है तथा उपराज्यपाल को भी इसकी जानकारी दी है। सोलंकी ने कहा कि बरसात से पहले इसकी सफाई नहीं हुई तो लोगों का जीना दूभर हो जायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श अपार्टमेंट सेक्टर 16 की स्थिति इन्हीं कारणों से बरसात में चार चार फीट जल भराव कि स्थिति हो जाती है। यहां तक कि बीमार बुजुर्ग लोगों को होटलों की शरण लेनी पड़ती है और मधु विहार जैसी कॉलोनियां नारकीय हो जाती है। उन्होंने डीडीए के मुख्य अभियंता एवं नगर निगम के उपायुक्त से मांग की है कि बरसात से पूर्व अपने अपने क्षेत्र के नालों की सफाई करा दें ताकि बुरे दिन नहीं देखने पड़े और लोग चैन की सांसे ले सकें।